

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Kalwanti Devi
Misc token no. Serial no. *561*
Year Date *18-7-78*
Received from
Following fees:
F (i)- 0 F (iii)- 0 G- 0
F (ii)- 0 F (iv)- 0 G(a)- 0
Total- 0
300

W
Registering Officer

147A8
151

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19 आवेदन सं० 561 19
श्रीक. श्री. Smt. Kalawati Devi 13-1-18

मे संरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संबंधित और अवधारों का संप्रमाण प्रमाण पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि तब संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संबंधित और अवधारों के बारे में बातों में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिका में सं० 2005 to till Date 19 तक कलाती की मर्ग और ऐसी कलाती के बाद निम्न संबंधित और अवधारों का पता क्या:

चला है तब: पिकर

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	तब दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज को प्रमाणित करने वाले अधिकारी के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्ला	तारीख	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dist - Patna							
	Mauza - Saguna							
	P.S. - Danapur							
	P.S. no - 23							
	Khata no - 112, 158, 173							
	Tawari no - 5292							
	Pilot no - 393, 392, 398, 391							
	Area - 15 Bhuar 40 Bhuarki + 15 Bhuar 10 Bhuarki + 6 Katha 15 Bhuar + 2 Katha 15 Bhuar + 1 Katha 5 Bhuar + 4 Katha 17 Bhuar + 33 Decimal							
	"Ozone Plaza"							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. संबंध-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बचत की उनके बारे में उल्लेख हो।
 3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- में यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संख्यावाली और अवधारी की छोड़ कर संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संख्यावाली और अवधारी का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): ~~44~~ Bhandra,

(पदनाम): 4DC.

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): 2लेद

(पदनाम): L.O.C.

कार्यालय: Danapur

तारीख: 14-1-18

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

14-1-18

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संख्यावाली और अवधारी दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संख्यावाली (ट्रान्सेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 100 के अधीन जो व्यक्ति (वाहरी) और अनुक्रमणीयों (इन्डोर) को प्रमाणित दस्तावेज चाहते हैं अथवा इनकी प्रतिनिधि लेना चाहते हैं जिन्हें निबंधित वस्तुओं के अवधारी के प्रमाण-पत्रों को जमा हो उन्हें तलासी जारी करनी होगी। निबंधित वस्तु का भुगतान करने पर वाहरी और अनुक्रमणीयों उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

X (क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

✓ (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूँकि उसके बाद ही गये संख्यावाली और अवधारी को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दिये गये सभी संख्यावाली और अवधारी को रद्द के तहत किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उनके संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय: 2लेद

ताप संख्या: 152

आवेदक श्री Smt. Kalawati Devi

का बचत प्रमाण-पत्र द्वारा

State Bank of India, RACPC (Patna)

का इससे पत्र संख्या

दिनांक 11/01/18

के प्रमाण में अभिलेख की जांच है।

निबंधन पदाधिकारी

14/01/18